भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

जिसका उत्तर, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

पीएमसी बैंक निरीक्षण

69. श्री मनोज कोटकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 2018 के पिछले निरीक्षण के दौरान पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को हटाने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस समय पीएमसी बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल कंपनी के लिए 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की थी और पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल को 73 प्रतिशत दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस समय आरबीआई द्वारा पीएमसी बैंक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई थी?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ककक की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने 23 सितम्बर, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करते हुए उनके स्थान पर छः माह की अवधि के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ककक(5)(क) के अंतर्गत प्रशासक को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए तीन अनुभवी पेशेवरों वाली एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई थी। बैंक द्वारा परिचालन में सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासक और समिति कार्य कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति की निगरानी कर रहा है।

तथापि, 31 मार्च, 2018 को पीएमसी की वित्तीय स्थिति के अनुसार इसके मूल्यांकन के आधार पर पीएमसी के अध्यक्ष को हटाने के लिए आरबीआई द्वारा किसी पर्यवेक्षीय कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं किया गया।

मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी, 1 जुलाई, 2015 के द्वारा जारी अनुदेशों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सभी शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि एकल उधारकर्ता में एक्सपोजर

पूंजीगत निधि के 15% से अधिक न हो और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में एक्सपोजर पूंजीगत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।

तथापि, आरबीआई को एक्सपोजर की सूचना देते समय उक्त बैंक ने विनियामकीय विवरणी में जानबूझकर गलत सूचना दी, एक फर्म विशेष अर्थात् एचडीआईएल के संबंध में सूचना को छिपाकर रखा ताकि एक्सपोजर मानदंड के विनियामकीय प्रावधान का अनुपालन दर्शाया जा सके।

आरबीआई ने जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की नकदी की स्थिति तथा अपने जमाकर्ताओं को धनराशि वापस करने की क्षमता की समीक्षा करने के पश्चात् बैंक के जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने को ध्यान में रखते हुए ऐसे आहरणों की सीमा को समय-समय पर बढ़ाया है, इस समय उक्त आहरण की सीमा 50,000 रुपए है, जो 5 नवम्बर, 2019 से प्रभावी है। अद्यतन छूट के साथ बैंक के लगभग 78% जमाकर्ता अपनी संपूर्ण जमाराशि आहरित कर सकेंगे। आहरण सीमा की निगरानी सामने आ रहे बैंक के जमाकर्ताओं तथा तरलता प्रोफाइल की तुलना में की जाती है और बैंक के जमाकर्ताओं के बेहतर हित में समुचित अगली कार्रवाई की जाती है।
- इसके अलावा, जमाकर्ता समस्या (चिकित्सा व्यय तथा अपने तथा बच्चों की शिक्षा पर व्यय, अपने तथा अन्य संबंधियों की शादी पर व्यय तथा जीविकोपार्जन) के आधार पर 1 लाख रुपए (सभी गैर-चिकित्सीय आधार पर 50,000 रुपए की उप-सीमा के साथ) तक की राशि आहरित कर सकता है। ऐसे मामलों के त्वरित समाधान के लिए समस्या के आधार पर ऐसे आहरण को स्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक को दिया गया है।
- बैंक को एनपीए/अशोध्य ऋण की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करके अपनी स्थिति में सुधार लाने में सक्षम बनाने हेतु आरबीआई ने बैंक पर 23 सितम्बर, 2019 को कारोबार समाप्त होने से लेकर छः माह की अवधि के लिए समग्र निदेश अधिरोपित किया है, जिसके अंतर्गत बैंक को नए ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है। जमाकर्ताओं द्वारा आहरण को एक निर्धारित राशि तक सीमित रखा गया है ताकि बैंक संकट में न पड़े। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, एक निर्धारित सीमा से अधिक जमा राशि के भुगतान तथा बढ़ते दायित्वों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जमाराशि के अधिमान्य भुगतान की संभावना पर रोक लग सके और व्यवस्था क्रम भंग के दौरान अविवेकपूर्ण उधार देने से बचा जा सके। बैंक को कोई भी भुगतान/व्यय, जिसके लिए इन निदेशों के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गयी है, से पूर्व आरबीआई की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है, ताकि जमाकर्ताओं की जमा राशि को अपव्यय से बचाया जा सके और केवल उत्पादक/उपयोगी प्रयोजनों के लिए ही इसकी अनुमति दी जा सके।

*****